# मध्यप्रदेश विधान सभा

## मार्च-मई, 1991 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

## शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 1991 (फाल्गुन 24, 1912)
## समय 10.30 बजे दिन

### 1. निधन का उल्लेख

पंडित अयोध्या प्रसाद शर्मा, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन का उल्लेख.

### 2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिए जायेंगे.

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड का वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे पटल पर रखेंगे ।

### 4. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर में बीड़ी श्रमिकों को पर्याप्त एवं गुणवत्ता की पत्ती न मिलने की ओर राज्य मंत्री, श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामानन्द सिंह/जगदम्बा प्रसाद निगम /आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल स्थित अम्बेडकर नगर के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा/चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर जिले के गरियाबंद, मैनपुर एवं नगरी के जंगलों में शेरनी का आतंक होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) चौधरी राकेश सिंह/श्री हरीसिंह नरवरिया/डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के जिला अधिकारियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री गजराज सिंह/डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर स्थित रायरू डिस्टिलर्स के प्रदूषण से बीमारियां फैलने की ओर राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, भोपाल के जिंसी चौराहे पर पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पात मचाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री अनूप मिश्रा/आरिफ अकील, सदस्य राजगढ जिले के नरसिंहगढ कस्बे में दंगे से हुई क्षति की ओर गृह मंत्री, का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती जयश्री बनर्जी, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन पटल पर रखेंगी.

## 6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यनारायण केशरवानी, सदस्यः-

जिला रायपुर के ग्राम छेरकापुर (जनपद पलारी) में हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में 34 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य :-

(क) जिला दुर्ग, के ग्राम नेवारी खुर्द एवं जगतरा में मनोरंजन गृह (सांस्कृति भवन) बनाये जाने के संबंध में 58 व्यक्तियों की,

(ख) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम जगतरा के कमजोर वर्गों के लोगो को घरेलु विद्युत लाईन प्रदाय किये जाने के संबंध में 20 व्यक्तियों की,

(ग) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम मनोद की प्राथमिक शाला हेतु अतिरिक्त कमरों के निर्माण कराये जाने के संबंध में 32 व्यक्तियों की,

(घ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम जगतरा में बांध बनाकर सिंचाई हेतु विद्युत पम्प लगाये जाने एवं तीन नलकूप खनन किये जाने के संबंध में 40 व्यक्तियों की,

(ड़) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम खैरवाही एवं नेवरी खुर्द में नलकूप खनन किये जाने के संबंध में 50 व्यक्तियों की,

(च) जिला दुर्ग, विकास खण्ड नेवारी खुर्द के काडा योजना को पूर्ण किये जाने एवं फर्शी का कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में 39 व्यक्तियों की,

(छ) जिला दुर्ग ,विकास खण्ड बालोद के ग्राम तरौद से मनोद के बीच कच्चे मार्ग में गिट्टीकरण किये जाने के संबंध में 30 व्यक्तियों की,

(ज) जिला दुर्ग, तहसील बालोद में सांस्कृति भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में 31 व्यक्तियों की,

(झ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड धौराभाठा में खेल मैदान निर्माण कराये जाने एवं मनोरंजन भवन निर्माण के संबंध में 26 व्यक्तियों की,

(ट) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम मुल्लेगुड़ा को विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में 26 व्यक्तियों की,
याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्यः-

जिला रायगढ़, तहसील रायगढ़ के ग्राम नन्देली से पेन्डरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में 117 व्यक्तियों की,
याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री रामानन्द सिंह, सदस्यः-

जिला सतना के ग्राम पंचायत नकेला के अन्तर्गत ग्रामों में प्राथमिक शालाऐं प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 45 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री गंगूराम बघेल, सदस्यः-

जिला रायपुर के आंरग विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में 44 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(6) डा. गोविन्द सिंह, सदस्यः-

जिला भिण्ड के कस्बा दबोह में प्रसूति गृह खोले जाने के संबंध में 12 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

## 7. शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, दिनांक 1 अगस्त, 1990 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (क्रमांक-3341) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

**8. शासकीय विधि विषयक कार्य**

श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय विधेयक, 1991 (क्रमांक 7 सन् 1991) के पुरः स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरः स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

**9. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा**

1 घन्टा (1) प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मिनिट (2) प्रदेश में ओला वृष्टि, अतिवृष्टि, पाला एवं इल्लियों के भारी प्रकोप आदि से फसलों की क्षति होने के संबंध में सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, महेश तिवारी, जालम सिंह पटेल, उदय प्रकाश मिश्रा, डा. गोविन्द सिंह, कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, तिलकराज सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

**10. अशासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 1 सन् 1991) के पुरः स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरः स्थापित करेंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 25 सन् 1990) के पुरः स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरः स्थापित करेंगे.

**11. अशासकीय संकल्प**

40 मिनिट (1) श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का मत है कि राज्य शासन या राज्य शासन के द्वारा गठित निकायों द्वारा संचालित समस्त बीमार औद्योगिक इकाईयों को नीलाम द्वारा प्रायवेट सेक्टर को हस्तांतरित कर राज्य कोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को समाप्त किया जाय."

25 मिनिट (2) श्री सुरेश सेठ, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

" मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 के अध्याय-3, धारा-20 के अन्तर्गत क्रमशः इन्दौर-उज्जैन, रायपुर-बिलासपुर-जगदलपुर, ग्वालियर-सागर, जबलपुर-रीवा, एवं भोपाल-होशंगाबाद संभागों हेतु पृथकतः संभागीय शिक्षा मंण्डल गठित किये जायें तथा माध्यमिक शिक्षा मंण्डल भोपाल को केवल राज्य स्तरीय नीति निर्धारण के संचालन एवं शिक्षा जगत में नई उपलब्धियों की पहल हेतु अधिकृत किया जाय."

30 मिनिट (3) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

" इस सदन का यह मत है कि लघु विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करनें की दृष्टि से शासन मिनी और माइक्रो विद्युत उत्पादन संयत्र पंचायतों के माध्यम से स्थापित करवायें."

20 मिनिट (4) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" मध्यप्रदेश शासन के सूचना तंत्र को अधिक सुदृढ एवं व्यवहारिक बनाने हेतु पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा हेतु अलग से प्रशिक्षित एवं विशिष्ट अमला रखकर पृथक कैडर बनाया जाय, जिला पुलिस बल से अधिकारियों/कर्मचारियों की इस शाखा हेतु सेवाएं लेने एवं देने की वर्तमान प्रथा पर तुरन्त रोक लगे."

30 मिनिट (5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" इस सदन का यह मत है कि भोपाल के सभी वार्डो को गैस पीड़ित वार्ड घोषित किया जाय."

**विश्वेन्द्र मेहता**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

भोपालः
दिनांक 14 मार्च, 1991.